<u>न्यायालयः-अमनदीप सिंह छाबड़ा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2</u> <u>बैहर, जिला बालाधाट म.प्र.</u>

<u>व्य0वादक0—187 / 16</u> संस्थित दिनांक 13.05.16

- 1.पवन शिव आयु—25 वर्ष आत्मज मूलचन्द शिव, जाति कतिया, पेशा—दुकानदारी, निवासी वार्ड नं.06 मोहगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 2.श्रीमती गीताबाई आयु—30 वर्ष पति श्री खेमलाल वर्मा, निवासी विजय नगर कलमना के पीछे नागपुर। हालमुकाम—मोहगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

.....वादीगण।

विरुद्ध

- 1.झनकलाल शिव आयु—53 वर्ष आत्मज मूलचन्द शिव, जाति कतिया, पेशा—दुकानदारी, निवासी वार्ड नं.06, मोहगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 2.मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा—जिलाध्यक्ष महोदय, जिला बालाघाट(म0प्र0)।

. प्रतिवादीगण।

-::<u>निर्णय</u>::-

-:: <u>दिनांक 06 / 05 / 2017</u> को घोषित ::-

- 1— यह वाद वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नंबर 21 रकबा 1.13 एकड़ तथा खसरा नंबर 329/4 रकबा 0.02^{1/2} एकड़ मौजा मोहगांव प.ह.नं.42 रा.नि. मं. बिरसा जिला बालाघाट भूमि मौजा बिरवा प.ह.नं.20, रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट के विषय में उद्घोषणार्थ एवं अंश निर्धारण व कब्जा प्राप्ति के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद शीर्ष में वर्णित पते के निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एक ही पिता की संतान है परन्तु उनकी माता अलग है। वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 के मध्य उनकी पैतृक संपत्ति का विवाद है और वादग्रस्त संपत्ति कृषि भूमि है। मूल पुरूष मूलचन्द थे, जिनकी पहली पत्नी कालोबाई थी। कालोबाई को मूलचन्द के संसर्ग से प्रतिवादी क्रमांक 01 झनकलाल व पुत्री बंदरीबाई उत्पन्न हुये। झनकलाल 7—8 वर्ष का था तब कालोबाई ने अपने पित मूलचन्द का परित्याग कर ग्राम मोहगांव के ही अधीनदास से विवाह किया। कालोबाई के चले जाने के पश्चात मूलचन्द ने शांतिबाई से विवाह कर उसे अपनी पत्नी

बना लिया और शांतिबाई से वादीगण पुत्री गीताबाई एवं पुत्र पवन पैदा हुये। गीताबाई पांच वर्ष की थी व पवन एक वर्ष का था तब उनकी माता शांतिबाई की मृत्यु हो गई है। गीताबाई व पवन छोटे थे और उनका लालन—पालन अच्छे से हो जावे इसलिये मूलचन्द के काका भाई हरिशचन्द शिव जो कि पेशे से वकील थे, उन्होंने दोनों को उनकी मुँह बोली मौसी के पास ले जाकर पालन—पोषण का दायित्व सौंपा। वादी 11 वर्ष का था तब उसके पिता मूलचन्द का दिनांक 18.03.2002 को निधन हो गया, जिसका कियाकर्म वादी ने किया था। गीताबाई का विवाह उसकी मौसी ने ग्राम मगरकुण्ड (छत्तीसगढ़) में किया था। बंदरीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। गीताबाई उक्त वाद में वादी कमांक 02 है जिसका पता वाद के शीर्ष में लेख है।

- मूल पुरूष के हक, मालिकी व कब्जे की भूमि है जो उक्त वाद की वादग्रस्त भूमि है और वर्तमान में उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में मात्र प्रतिवादी कुमांक 01 झनकलाल का नाम दर्ज है। खसरा नंबर 21 रकबा 1. 13 एकड़ / 0.458 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 329 / 4 रकबा 0.02 ^{1/2} एकड़ / 0. 010 हेक्टेयर मौजा मोहगांव, प.ह.नं.42 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट है। मूल पुरूष मूलचन्द की मृत्यु के पश्चात झनकलाल प्रतिवादी क्रमांक 01 ने संपूर्ण भूमि पर अपना स्वयं का नाम दर्ज करा लिया जबकि दिनांक 15.09.2002 की ग्राम मोहगांव की प्रमाणित संशोधन पंजी के संशोधन क्रमांक-73 / 343 के कॉलम नंबर08 में प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम व क्रमांक 74 / 715 के कॉलम नं08 में प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं वादी का नाम बतौर नाबालिग वली बड़ा भाई झनकलाल दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 का बराबर—बराबर का हिस्सा है, इसलिये वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण संशोधन पंजी दिनांक 15.09.2009 के संशोधन क्रमांक 73/343 एवं 74/715 आदेश दिनांक 01.10.2002 को अवैध व प्रभावशून्य कराये जाने एवं मूलचन्द के विधिक वारसान के रूप में झनकलाल के साथ अपना भी नाम उद्घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी कुमांक 01 झनकलाल ने वादीगण की आयु कम होने का फायदा उठाते हुये वर्ष 2002 में अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया है। वादीगण को दिनांक 18.04.2016 एवं 22.04.2016 को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि पर मात्र प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम दर्ज है।
- 4— वादीगण के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने जवाबदावे में यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 1. 13 एवं खसरा नंबर 329/4 रकबा 0.02^{1/2} डिसमिल भूमि पुरानी आबादी मद

की भूमि है जो कब्जे के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं उसके पिता मूलचन्द को प्राप्त हुई। प्रतिवादी क्रमांक 01 को शासकीय पट्टा दिया गया था तथा बाद में शर्तों का पालन किये जाने के पश्चात भूमि भूमिस्वामी हक में प्राप्त हुई। प्रतिवादी कमांक 01 ने राजस्व अधिकारियों को कब्जा होने से आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 01 ने स्वयं अपने पिता मूलचन्द और उनके साथ में शामिल-शरीक स्वयं झनकलाल के नाम का आवेदन प्रस्तुत किया था जो संशोधन क्रमांक 188 दिनांक 15.06.1988 के अनुसार खसरा नंबर 329 × 1 में से 0.02 1/2 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं उसके पिता मूलचन्द का नाम शामिल-शरीक दर्ज होकर भूमिस्वामी हक में कब्जे के आधार पर राजस्व प्रलेखों में नाम दर्ज होकर चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 के पिता की मृत्यु होने के उपरांत एक मात्र वारसान प्रतिवादी क्रमांक 01 होने से उसका नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ। जब भूमि भूमिस्वामी हक में घोषित की गई तब प्रतिवादी क्रमांक 01 का एवं उसके पिता का नाम शामिल-शरीक होने से 0.01^{1/4} डिसमिल पर प्रतिवादी क्रमांक 01 ने मकान का निर्माण किया, जिसमें उसके पिता मूलचन्द भी निवास करते थे। प्रतिवादी क्रमांक 01 का पिता मूलचन्द पिता सुन्दरलाल था तथा उनकी एक मात्र पत्नी कालोबाई थी जिनके संसर्ग से प्रतिवादी कमांक 01 एवं पुत्री बंदरीबाई उत्पन्न हुये इसके अलावा मूलचन्द की कोई अन्य वारसान नहीं थे। वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि को हड़पने की नियत से मूल पुरूष मूलचन्द का वारसान बता रहे है। वादीगण स्वयं को मूलचन्द का वारसान बता रहे है तो उन्हें बालिग होने के तीन वर्ष के भीतर वाद प्रस्तुत करना था किन्तु वादीगण का जन्म वादी के आधार काई पर जन्म तिथि 01.01.1988 दी गई है, इस कारण वाद समयावधि के बाहर है।

5— मूल पुरूष मूलचन्द ने खसरा नंबर 21 रकबा 1.13 एकड़ भूमि को हिरिशचन्द शिव को दिनांक 12.03.1983 को 2500 रुपये में बिक्री कर दिया था तथा कब्जा भी दे दिया था, जिसके संबंध में एक इकरारनामा दिनांक 12.03. 1983 को तहरीर किया, जिसमें 2500/— में से दिनांक 12.03.1983 को 1000/— तथा दिनांक 19.04.1984 को 1000/— रुपये दिनांक 03.05.1984 को 400/— रुपये एवं दिनांक 07.05.1984 को 100/— रुपये मूलचन्द ने प्राप्त किये थे, तब उक्त भूमि आबादी मद की भूमि थी, इसलिये पंजीयन नहीं हुआ था किन्तु पैसा लेकर कब्जा दे दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी क्रमांक 01 ने स्वयं की कमाई से उक्त भूमि की राशि हरिशचन्द शिव को लौटा दिया और स्वयं कब्जा एवं कास्त कर रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक

01 की है। प्रतिवादी कमांक 01 ने एक मात्र पुत्र होने के कारण अपने पिता का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा दिया था तथा पिता की मृत्यु के पश्चात वारसान प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। वादीगण किसके पुत्र एवं पुत्री है एवं उनके पिता कौन है और कहाँ रहते है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। पवन एवं गीता वल्द मूलचन्द नाम का फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 की भूमि को प्राप्त करना चाहते है। वादीगण ने राजस्व अभिलेखों में राजस्व अधिकारियों से मिलकर बिना आदेश के चोरी-छिपे गलत तरीके से दर्ज करवा लिया था, जिसे विलोपित किया गया है। वादीगण स्वयं को मोहगांव का निवासी बता रहा है एवं उसके पूर्व कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया, जबकि बचपन से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 ही गांव होने के कारण एक-दूसरे को अच्छी-तरह से जानते एवं पहचानते है तथा प्रतिवादी कमाक 01 का मकान मोहगांव बस स्टेण्ड में स्थित है तथा कृषि भूमि भी मोहगांव में स्थित है, जिसकी वादीगण को पूर्ण जानकारी है। वादीगण चत्र एवं होशियार है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 अनपढ़ एवं सीधा-सादा व्यक्ति है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 01 को क्षति पहुँचाने के आशय से यह वाद प्रस्तृत किया है जिसे निरस्त किया जावे।

6— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

| | | Q\\ \A\\ \\ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| कमांक | वादप्रश्न | निष्कर्ष |
| 1 | क्या वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नंबर 21 रकबा 1.13 एकड़ तथा खसरा नंबर 329/4 रकबा 0.02 ^{1/2} एकड़ मौजा मोहगांव प.ह.नं.42 रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट वादीगण की पैतृक संपत्ति है ? | प्रमाणित नहीं " |
| 2 | क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के आधे हिस्से के हकदार है ? | '' प्रमाणित नहीं '' |
| 3 | क्या वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ? | '' प्रमाणित नहीं '' |
| 4 | क्या वाद अवधि बाध्य है ? | '' प्रमाणित नहीं '' |
| 5 | सहायता एवं व्यय ? | कंडिका-17 के अनुवार वाद निरस्त किया गया। |

वादप्रश्न कमांक-4का निष्कर्षः-

- प्रतिवादी का यह अभिवचन है कि वादीगण स्वयं को मूलचंद की 7— वारसान बता रहे हैं तो उन्हें बालिंग होने के तीन वर्ष के अंदर वाद प्रस्तुत करना था। क्योंकि वादी क्रमांक 01 का जन्म आधार कार्ड में तिथि 01.01.1988 उल्लेखित है। इस कारण वाद समय अवधि से बाहर है। उक्त संबंध में झनकलाल (प्रति0सा01) का कथन है कि वादीगण स्वयं को मोहगांव का निवासी बता रहे हैं और उन्होंने पूर्व में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। जबकि बचपन से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 एक ही गांव के हैं तथा उक्त गांव में ही उसका मकान मोहगांव बस स्टेण्ड में निर्मित है तथा कृषि भूमि भी मोहगांव में स्थित है। जिसकी वादीगण को पूर्ण जानकारी है। लेकिन गलत नाम का फायदा उठाकर उसे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। वादी पवन शिव (वा०सा०1) का कथन है कि प्रतिवादी कमांक 01 ने उसकी आयु कम होने का फायदा उठाकर वर्ष 2002 में अकेले अपना नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया और वह प्रारंभ से ही यह सोचकर अपना जीवन-यापन कर रहा था कि उसका नाम भी वादग्रस्त भूमि पर दर्ज है। परंतु जब उसने राजस्व अभिलेखों को प्राप्त किया तब उसे सर्वप्रथम दिनांक 18.04.2016 को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपने अकेले का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज करवा लिया है। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 18.04.2016 एवं दिनांक 22.04.2016 को उत्पन्न हुआ।
- 8— धारा—6 परिसीमा अधिनियम 1963 वहां लागू होती है जब वाद कारण विधिक निर्योग्यता के दौरान उत्पन्न हो गया हो। परंतु यह निर्विवाद है कि जब तक पूर्ण वाद कारण उत्पन्न नहीं होता तब तक परिसीमा अधिनियम काल प्रारंभ नहीं होता। मूलचंद की मृत्यु के दौरान वादी पवन शिव के नाबालिग होने को विवादित नहीं किया गया है तथा संशोधन पंजी प्र.पी.01 से भी उसकी पुष्टि होती है। अनुच्छेद—110 परिसीमा अधिनियम के अनुसार संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की प्राप्ति हेतु परिसीमा काल 12 वर्ष होकर अधिकार से वंचित किये जाने की जानकारी की तिथि से प्रारंभ होता है। प्रतिवादी झनकलाल द्वारा साक्ष्य में ऐसे कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि वादी पवनशिव को मूलचंद की संपत्ति से बेदखल किये जाने की पूर्व से जानकारी थी तथा अन्य प्रतिवादी साक्षी ने भी ऐसे कोई

कथन नहीं किये हैं। मूलचंद की मृत्यु के समय बादी नाबालिग था जिससे वादी के अभिवचन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि वह विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों पर अपना नाम दर्ज होने के भ्रम में रहा। दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात वाद प्रस्तुत करने के वादी के कथनों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है जिससे वाद समयाविध के भीतर दर्शित होता है। जिस हेतु वाद प्रश्न क्रमाकं 04 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

<u>वादप्रश्न कमांक—3 का निष्कर्षः</u>—

9— प्रतिवादी झनकलाल ने यह अभिवचन किया है कि वादी पवन शिव ने शांतिबाई की पुत्री गीताबाई का वंशावली में उल्लेख किया है, परंतु उसे पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे पक्षकारों के कुसंयोजन से वाद निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वाद लंबन के दौरान न्यायालय की अनुमित से गीताबाई को द्वितीय वादी के रूप में संयोजित किया गया है। तत्पश्चात प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा अपने संशोधित अभिवचनों में पक्षकार के संबंध में अन्य कोई आपत्ति नहीं ली है और न ही साक्ष्य में पक्षकार के असंयोजन अथवा कुसंयोजन के संबंध में कोई कथन किये हैं। जिससे उक्त विवाद्यक के संबंध में कोई विवाद नहीं है। फलतः विवाद्यक क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

वादप्रश्न कमांक-1 एवं 2 का निष्कर्षः-

10— वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। जिस हेतु प्रथमतः उन्हें मूलचंद की संतान होना सिद्ध करना आवश्यक है। जिसके पश्चात प्रतिवादी के बचाव अनुसार संपत्ति के पैतृक अथवा स्व अर्जित होने के संबंध में चर्चा की जावेगी। उक्त संबंध में पवन शिव (वा०सा०1) ने अपने मुख्य परीक्षण, शपथपत्र में कथन किया है कि उनके मूल पुरूष मूलचंद थे। जिनकी पहली पत्नि कालोबाई से झनकलाल प्रतिवादी कमांक 01 तथा पुत्री बंदरीबाई उत्पन्न हुये। झनकलाल जब लगभग 7—8 वर्ष का था तब कालोबाई ने मूलचंद का परित्याग कर ग्राम मोहगांव के ही अधीनदास नामक व्यक्ति से विवाह कर लिया। कालोबाई के चले जाने के उपरांत मूलचंद ने शांतिबाई से विवाह किया जिससे पुत्री गीताबाई तथा वह उत्पन्न हुये। गीताबाई पांच वर्ष की थी और वह एक वर्ष का था तब

उनकी माता शांतिबाई की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गयी। गीताबाई और उसके छोटे होने के कारण मूलचंद के काका भाई हरिशचंद्र ने उन दोनों के पालन-पोषण का दायित्व उनकी मोहगावं निवासी मुहबोली मौसी को सौंपा। वह जब 11 वर्ष का था तब दिनांक 18.03.2002 को उसके पिता मूलचंद की मृत्यु हो गयी थी। जिसका अंतिम संस्कार उसने ही किया। गीताबाई का विवाह हो गया तथा बंदरीबाई की मृत्यु हो गयी। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.13 एकड़ तथा खसरा नम्बर 329 / 4 रकबा 0.021 / 2 एकड़ मौजा मोहगांव प.ह.नं.—42 प्रतिवादी क्रमाक 01 के नाम पर दर्ज है वह तथा झनकलाल मूल पुरूष मूलचंद के विधिक वारसान हैं। मूलचंद की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी कमांक 01 झनकलाल ने सम्पूर्ण भूमि पर अकेले का नाम दर्ज करवा लिया। जबकि संशोधन पंजी दिनांक 15.09.2002 के संशोधन कमांक 74 / 715 के कालम नम्बर 8 में झनकलाल तथा उसका नाम बतौर नाबालिग बली बड़ा भाई झनकलाल दर्ज है। विधिक वारसान होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर झनकलाल तथा वादीगण बराबर-बराबर के हकदार हैं। उक्त कथनो का समर्थन रामनाथ उइके (वा०सा०२), सोमप्रसाद (वा०सा०३) तथा मोतीलाल धुर्वे (वा०सा०५) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में किया है। वाद पत्र के समर्थन में वादी पवन शिव (वा०सा०1) ने संशोधन पंजी प्र.पी.1, खसरा पांचसाला प्र.पी.02, किस्तबंदी प्र.पी.03, खसरा प्र.पी.04 तथा 05, किस्तबंदी प्र.पी.06, मतदाता परिचय पत्र प्र.पी.07 तथा आधार कार्ड प्र.पी.08 प्रस्तुत किये हैं।

11— प्रतिवादी झनकलाल (प्रति०सा०1) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किये हैं कि ग्राम मोहगांव में आबादी मद की भूमि थी जिस पर उसका कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा था। उक्त संबंध में किये गये आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व प्रलेखों में उक्त 2^{1/2} डिसमिल भूमि पर उसका तथा उसके पिता का नाम दर्ज किया गया था। जिस पर वर्तमान में पक्का मकान बनाकर वह कई वर्षों से निवासरत हैं। इसी प्रकार ग्राम मोहगांव स्थित कृषि भूमि पूर्व में शासकीय भूमि थी जो उसके आवेदन के आधार पर शासकीय पट्टे पर उसके पिता के नाम से दर्ज होकर उसे भूमिस्वामी हक में प्राप्त हुई जो 1.13 डिसमिल है। विधिक वारसान होने के कारण उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में उसका नाम दर्ज हो चुका है और वह आज तक शांतिपूर्वक कब्जा करते हुए चले आ रहे हैं। वादीगण किसके पुत्र हैं और कहां के रहने वाले हैं उसे जानकारी नहीं है। पवन एवं गीताबाई विल्दयत में

मूलचंद के नाम का गलत फायदा उठाकर उसकी भूमि को हड़पना चाहते हैं। उक्त मूलचंद कोई अन्य व्यक्ति है क्योंकि उसके पिता मूलचंद वल्द सुंदरलाल हैं। जिसके समान नाम का फायदा उठाकर पवन शिव ने राजस्व प्रलेखों में मेल-जोल कर बिना आदेश के चोरी से नाम दर्ज करवा लिया जो गलत पाये जाने पर विलोपित कर दिया गया। उसके पिता की एक मात्र पिल कालोबाई थी जिनके संसर्ग से वह तथा बंदरीबाई उत्पन्न हुए। इसके अलावा मूलचंद के अन्य कोई वारसान नहीं हैं और न ही मूलचंद ने शांतिबाई से विवाह किया था। वादीगण कभी भी मूलचंद के पास नहीं रहे और न ही मूलचंद ने उनका लालन-पालन किया। वादीगण का मूलचंद के मृत्यु संस्कार में आना नहीं हुआ। यदि वादीगण मूलचंद की संतान होते तो मूलचंद अवश्य ही उनका लालन-पालन तथा विवाह करता। वादीगण का खानदान अलग है। जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है। जवाब दावा के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक 01 झनकलाल (प्रति०सा०1) द्वारा संशोधन पंजी दिनांक 15.06. 1988 प्र.डी.01, दिनांक 10.07.1976 प्र.डी.02 तथा दिनांक 08.01.1993 प्र.डी.03 प्रस्तुत किये गये हैं। प्रतिवादी झनकलाल के उक्त कथनों का समर्थन अकलदास (प्रति०सा०२) तथा लक्ष्मीनारायण (प्रति०सा०३) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में किया है।

12— अपने जन्म के संबंध में वादी पवन शिव (वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—9 में कथन किया है कि उसका लालन—पालन उसकी मौसी के यहां पर हुआ था और उसके अतिरिक्त कहीं नहीं हुआ। गीताबाई का लालन—पालन भी उसकी मौसी के यहां पर ही हुआ था। कंडिका—12 में साक्षी का कथन है कि कक्षा—3 तक पढ़ा लिखा है और थोड़ा बहुत पढ़ना जानता है। रामनाथ उईके (वा0सा02)ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका—8 में कथन किया है कि गीताबाई एवं पवन का जन्म, लालन—पालन एवं विवाह उनकी मौसी के यहां हुआ था। प्रकरण में वादी पवन शिव (वा0सा01) द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह तीसरी तक पढ़ा—लिखा है। जिससे विद्यालय की पंजी, अंक सूची व अन्य दस्तावेज उसके पितृत्व के संबंध में उचित साक्ष्य हो सकते थे। परंतु वादीगण द्वारा न तो उक्त दस्तावेजों को प्रकरण में प्रस्तुत किया गया और न ही दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में कोई कथन किये। प्रकरण में अन्य वादी गीताबाई का परीक्षण ही नहीं कराया गया है और न ही उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत

किये गये हैं। वादीगण ने अपनी मौसी के यहां लालन—पालन होने के अभिवचन किये हैं। उक्त मौसी तथा उसके परिवारवालों की साक्ष्य वाद में सहायक सिद्ध हो सकती थी। परंतु वादीगण द्वारा बिना उचित कारण के उनका परीक्षण नहीं कराया गया है।

- संशोधन पंजी दिनांक 15.09.2002 प्र.पी.01 वादीगण का मुख्य आधार 13-है तथा अपने समर्थन में वादीगण द्वारा संशोधन पंजी तैयार करने वाले पटवारी विजयसिंह राठौर (वा०सा०४) का परीक्षण कराया है। साक्षी विजयसिंह राठौर (वा०सा04) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 15.09.2002 को ग्राम मोहगांव प.ह.नं. 42 में पटवारी के पद पर पदस्थ था तथा प्र.पी.01 संशोधन पंजी उसके द्वारा उसकी हस्तलिपि में तैयार की गयी। संशोधन पंजी के संशोधन कमांक 74/715 दिनांकं 15.09.2002 में खसरा नम्बर 329/4 रकबा 21/2 डिसमिल भूमि के कालम सात में मूलचंद की मृत्यु उपरांत झनकलाल वल्द मूलचंद तथा पवन वल्द मूलचंद पुत्र काबिज होना उल्लेखित है तथा कालम 08 में पवनलाल वल्द मुलचंद नाबालिग बली बडा भाई झनकलाल दर्ज है। उक्त संशोधन पंजी के इंद्राज के समय उसने आसपास के कृषक ग्राम कोटवार तथा झनकलाल से पूछताछ की थी तथा झनकलाल ने उसे बताया था कि मूलचंद उसके पिता थे और वह तथा पवन भाई—भाई हैं। उसी आधार पर उसने प्र.पी.01 के कालम नम्बर 08 में झनकलाल तथा पवनलाल का नाम दर्ज किया था। साक्षी की साक्ष्य संशोधन क्रमांक 74 / 715 के संबंध में अखण्डनीय है।
- 14— प्रतिपरीक्षण की कंडिका—5 में साक्षी विजयसिंह राठौर (वा०सा०4) ने कथन किया है कि उसने झनकलाल के बताये अनुसार गीताबाई का नाम दर्ज नहीं किया था। क्योंकि उसे बताया गया था कि गीताबाई शादी के बाहर चली गयी है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि विवाह उपरांत पुत्री का पिता की संपत्ति पर हक रहता है। उक्त संशोधन पंजी के सूक्ष्म अवलोकन से संशोधनों में विरोधाभाष दर्शित होता है क्योंकि संशोधन क्मांक 74/715 खसरा नम्बर 329/4 में मूलचंद के फौत होने पर पवनलाल का नाम दर्ज किया गया। परंतु संशोधन क्मांक 73/343 खसरा नम्बर 21 में मूलचंद के फौत होने पर केवल झनकलाल का नाम दर्ज किया गया। जबकि उक्त संशोधन पंजी प्र.पी.01 साक्षी ने स्वयं द्वारा तैयार करने के कथन किये

हैं, जिस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। बंदरीबाई के संबंध में यह कहा गया है कि उसकी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी। परंतु गीताबाई का नाम न होने के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि मूलचंद की मृत्यु के समय गीताबाई नाबालिंग होकर अधिक उम्र की नहीं थी। यह स्वीकृत है कि उक्त संशोधन के पश्चात के किसी भी राजस्व प्रलेखों में खसरा नम्बर 329/4 में वादी पवनलाल का नाम दर्ज नहीं रहा है। स्वयं वादी पवनलाल (वा0सा01) द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका—13 में की गयी स्वीकृति से उक्त संशोधन का स्पष्टीकरण दर्शित होता है कि खसरा नम्बर 329/4 की संशोधन पंजी प्र.पी.01 में उसका नाम किसी न्यायालय के आदेश से नहीं चढ़ा है। जानकारी होने पर झनकलाल की आपत्ति पश्चात उसका राजस्व अभिलेख से कट गया। जिसकी उसने कोई अपील राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की।

- वादीगण का मुख्य विश्वास साक्षी सोमप्रसाद (वा०सा०3) की साक्ष्य पर है। जिसने कथन किया है कि झनकलाल उसकी मौसी का लड़का है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि कालोबाई के चले जाने के बाद मूलचंद दूसरी पिंत शांतिबाई लाया जिससे वादीगण पवन व गीताबाई उत्पन्त हुये। शांतिबाई से विवाह के बाद झनकलाल बहन बंदरीबाई, पवन, गीताबाई व शांतिबाई सभी मूलचंद के साथ निवास करते थे। शांतिबाई की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी झनकलाल ने अपने पिता मूलचंद को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिसके बाद मूलचंद पवन और गीताबाई को लेकर पवन की बड़ी मां के पास ग्राम मोहगांव में ही जाकर निवास करने लगा। उक्त साक्षी की साक्ष्य इसलिए विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती क्योंकि सम्पूर्ण प्रकरण में वादी पवन द्वारा ही मूलचंद के उनके साथ मौसी के यहां निवास करने के कथन नहीं किये हैं।
- 16— अब जहां तक परिचय पत्र प्र.पी.07, आधार कार्ड प्र.पी.08 का प्रश्न है यह सर्वविदित है कि मतदाता परिचय पत्र वयस्क होने पर ही बनाया जाता है एवं आधार कार्ड का प्रचलन वर्तमान के वर्षों में ही हुआ है। स्वयं वादी पवनलाल (वा०सा०1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—15 में कथन किये हैं कि उसका सबसे पहले परिचय पत्र तैयार हुआ था। जिसके आधार पर ही आधार कार्ड बना था। उक्त दोनों दस्तावेजों से पितृत्व के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। जब

तक अन्य साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध न कर दिया गया हो। क्योंकि दोनों दस्तावेज व्यक्ति विशेष की पहचान हेतु हैं। मूलचंद के मृत्यु संस्कार के संबंध में उभयपक्ष द्व ारा साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। परंतु मृत्यु संस्कार करने मात्र से पितृत्व का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रकरण में वादीगण द्वारा मूलचंद की संतान होने के संबंध में न तो उचित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उन्हें किसी प्रकार की सहायता मिलती है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण मूलचंद की संतान हैं जिससे वादग्रस्त संपत्ति पर वादीगण का किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः विवाद्यक क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्ययः-

- 17— उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतएव वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :--
 - (1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
 - (2) वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करेंगें तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देष पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर बालाघाट म.प्र. (अमनदीपसिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बैहर बालाघाट म.प्र.